बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-01/2017/.........25............ /पटना, दिनांक.....21-09-17.....

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक,

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णियाँ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, जहानाबाद, अरबल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0002 राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 15967000/-(एक करोड़ उन्नसठ लाख सड़सठ हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0- 35 एवं विपत्र कोड- **35-3454022040002** है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 47 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रुप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें।

9. संविदा सेवायें मद में आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत पद के विरुद्ध आउट सोर्सिंग एजेंसी से सेवा प्राप्त वाहन चालक एवं कार्यालय परिचारी के पारिश्रमिक भुगतान पर किया जाना है।

10. 28.02-संविदा सेवाएं मद में आवंटित राशि से निदेशालय मुख्यालय में बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान किया जाना है।

11. कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (NILET) में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क/शुल्क का नियमानुसार भुगतान प्रशिक्षण व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाना सुनिश्चित करेगें।

12. वित्त विभाग के ज्ञापांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विषय शीर्षो -01-01 से 01-07 में यदि किसी विषय शीर्ष में कम राशि प्रावधानित/आवंटित है, तो जिस विषय शीर्ष में अधिक राशि प्रावधानित आवंटित है में से घटाते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जा सकती है।

13. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(sd) 21/9/17 बजट सहायक | (sd) प्रशाखा पदा० | (sd) 21.9.17 सहायक निदेशक | (sd) 21/9/17 निदेशक

ज्ञापांक ....25........../पटना, दिनांक ......21-09-17..........

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(sd) 21/9/17
निदेशक

ज्ञापांक ....25........../पटना, दिनांक ......21-09-17..........

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना।

2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(sd) 21/9/17
निदेशक

ज्ञापांक ....25........../पटना, दिनांक......21-09-17..........

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।

2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

(sd) 21/9/17
निदेशक

आबंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040002

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चि0 प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	14-01 किराया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 व्यवसायिक सेवाएं/ संविदा सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	30000	-	-	1000000	1080000
प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय																			
2	पटना	-	-	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	16000
3	गया	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	5000	-	-	-	-	-	-	120000	130000
4	मुंगेर	200000	-	-	-	-	200000	-	-	5000	5000	-	-	-	-	-	-	120000	330000
5	भागलपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	5000	-	-	-	-	-	-	120000	130000
6	पूर्णियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	-	-	-		5000
7	दरभंगा	400000	-	-	-	-	400000	-	-	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	410000
8	मुजफ्फरपुर	400000	-	-	-	-	400000	-	-	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	410000
9	सारण	194000	76000	46000	1600	-	317600	-	-	5000	5000	-	-	-	-	-	-	120000	447600
जिला सांख्यिकी कार्यालय							-												0
10	पटना	-	-	-	-	-	-	-	10000	10000	10000	-	-	-	-	-	-	-	30000
11	नालन्दा	-	-	-	-	-	-	-	20000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	36000
12	भोजपुर	-	-	-	-	-	-	-	30000	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	38000
13	बक्सर	500000	-	50000	5000	-	555000	-	4000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	575000
14	रोहतास	-	-	-	-	-	-		5000	8000	8000	-	-	-	15000	-	-	-	36000
15	कैमूर(भभुआ)	-	-	-	-	-	-	-	4000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	20000
16	गया	-	-	-	-	-	-	-	20000	10000	10000	-	-	-	-	-	-	-	40000

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चि0 प्रतिपूति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	14-01 किराया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 व्यवसायिक सेवाएं/ संविदा सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	जहानाबाद	-	-	-	-	-	-	-	4000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	9000
18	अरबल	-	-	-	-	-	-	-	4000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	14000
19	नवादा	82000	-	40000	-	-	122000	-	15000	8000	8000	2000	11000				4000	-	170000
20	औरंगाबाद	1200000	-	270000	40000	-	1510000	-	4000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	130000	1654000
21	मुंगेर		-	-	-	-	-	-	10000	5000	5000	-	-	-	-	-	-		20000
22	बेगूसराय	-	-	-	-	-	-	-	10000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	26000
23	खगड़िया	-	-	-	-	-	-	-	4000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	14000
24	लखीसराय	1000000	-		-	-	1000000	-	4000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	1014000
25	शेखपुरा	-	-	-	-	-	-	-	4000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	14000
26	जमुई	-	-	-	-	-	-	-	4000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	14000
27	भागलपुर	400000	-	40000	-	-	440000	-	10000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	466000
28	बांका	400000	-	-	-	-	400000	-	4000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	420000
29	पूर्णियाँ	631000	-	82500	5000	-	718500	-	15000	8000	8000	12000	-	-	-	-	-	-	761500
30	अररिया	600000	-	40000	2000	-	642000	-	17000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	669000
31	किशनगंज	800000	-	50000	2000	-	852000	-	4000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	866000
32	कटिहार	807100	-	12834	1200	-	821134	-	30000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	867134
33	सहरसा	-	-	-	-	-	-		10000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	20000
34	सुपौल	-	-	-	-	-	-		4000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	20000
35	मधेपुरा	300000	-	-	-	-	300000		4000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	320000
36	दरभंगा	-	-	-	-	-	-		15000	10000	10000	-	-	-	-	-	-	-	35000
37	मधुबनी	200000	-	-	-	-	200000		10000	10000	10000	-	-	-	-	-	-	-	230000
38	समस्तीपुर	1079000	-	30546	3200	720	1113466	-	30000	8000	8000	-	-	-	5000	-	-	-	1164466
39	मुजफ्फरपुर	400000	-	-	-	-	400000	-	15000	10000	10000	-	-	-	-	-	-	-	435000
40	सीतामढ़ी	-	-	-	-	-	-	-	10000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	26000
41	शिवहर	-	-	-	-	-	-	-	4000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	14000

क्र॰ सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चि0 प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	14-01 किराया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 व्यवसायिक सेवाएं/ संविदा सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	पूर्वी॰ चम्पारण	400000	-	-	-	-	400000	-	10000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	426000
43	प॰ चम्पारण	-	-	-	-	-	-	-	4000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	20000
44	वैशाली	200000	-	-	-	-	200000	-	4000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	220000
45	सारण	-	-	-	-	-	-	-	10000	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	18000
46	सिवान	-	-	-	-	-	-	-	10000	8000	8000	-	-	-	-	-	-	-	26000
47	गोपालगंज	1885000	-	202300	6400	1500	2095200		10000	8000	8000	-	10000	-	-	-	4100	125000	2260300
	कुल योगः-	12078100	76000	864180	66400	2220	13086900	0	386000	321000	295000	14000	21000	50000	50000		8100	1735000	15967000

(एक करोड़ उन्नसठ लाख सड़सठ हजार) रुपये मात्र।

बजट सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक निदेशक

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय